

टोरंटो जी-20 शिखर सम्मेलन घोषणा
(26-27 जून, 2010)

प्रस्तावना

1. टोरंटो में हमने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के सर्वप्रमुख मंच की नई हैसियत से जी-20 के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
2. वैश्विक आर्थिक संकट का समाधान करने में प्राप्त उपलब्धियों का उपयोग करते हुए हमने आगे उठाए जाने वाले उन कदमों पर अपनी सहमति व्यक्त की जिनसे गुणवत्ता आधारित नौकरियों के साथ विकास के मार्ग पर पूर्णतः वापस आना सुनिश्चित हो सके। वित्तीय प्रणालियों को संशोधित एवं सुदृढ़ बनाया जा सके और ठोस, सतत एवं संतुलित वैश्विक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
3. अब तक हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। अभूतपूर्व और विश्व स्तर पर समन्वित राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेजों ने निजी मांग और ऋण की बहाली में मदद करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। हम अपनी वित्तीय प्रणालियों के स्थायित्व में वृद्धि करने और उन्हें सुदृढ़ बनाए जाने की दिशा में ठोस उपाय कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराए गए संवर्धित संसाधनों से विश्व के सबसे गरीब देशों में इस संकट के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और वहां स्थिरता पैदा करने में मदद मिल रही है। शासन एवं प्रबंधन संबंधी जारी सुधार, जिन्हें निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए, से इन संस्थाओं की प्रभाविता और प्रासंगिकता में वृद्धि होगी। हमने संरक्षणवाद का प्रतिरोध करने की अपनी ठोस वचनबद्धता को सफलतापूर्वक कायम रखा है।
4. परंतु अभी भी गंभीर चुनौतियां विद्यमान हैं। हम विकास के मार्ग पर वापस आ रहे हैं, परन्तु सुधार की यह प्रक्रिया असमान और नाजुक बनी हुई है, अनेक देशों में बेरोजगारी अभी भी अस्वीकार्य स्तर पर है तथा संकट के सामाजिक प्रभावों को व्यापक तौर पर महसूस किया जा रहा है। सुधार की इस प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुधार की इस प्रक्रिया को कायम रखने के लिए हमें अभी चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जबकि संवर्धित निजी मांग के लिए उपयुक्त स्थितियों के सृजन हेतु कार्य जारी

रखना होगा। इसके साथ ही हाल के घटनाक्रमों से स्थाई सार्वजनिक धन के महत्व और राजकोषीय निरन्तरता कायम रखने के लिए विश्वसनीय, चरणबद्ध और विकास हितैषी योजनाओं को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इन योजनाओं का निर्माण विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप किया जाना चाहिए। जिन देशों के समक्ष गंभीर राजकोषीय चुनौतियाँ हैं उन्हें राजकोषीय मजबूती की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। इसके साथ ही वैश्विक माण्ड को समुलित करने हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि वैश्विक विकास सुनिश्चित हो सके। हमारी वित्तीय सङ्घाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उनके तुलनाओं को समुलित बनाने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सङ्गोधन और सुधार की प्रक्रिया में भी प्रगति अपेक्षित है जिससे कि वास्तविक अर्थव्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता और तीव्र विकास को बढ़ावा मिल सके। हमने बेहतर तरीके से विनियमित तथा और भी लोचनीय वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने के लिए कठिन नए उपाय किए हैं जिससे हमारे नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सङ्घाओं में सुधार की प्रक्रिया को भी पूरा करना एक तात्कालिक आवश्यकता है।

5. नौकरियों की सङ्ख्या में वृद्धि करने तथा हमारे नागरिकों, खासकर सबसे कमजोर तबकों को सामाजिक सङ्रक्षा उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकार करते हुए हम अप्रैल, 2010 में आयोजित अने श्रम एवं रोजगार मन्त्रियों की बैठक की अनुशासनाओं तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास सङ्गठन (ओईसीडी) के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण रणनीति का स्वागत करते हैं।
6. हम अने द्वारा की गई वचनबद्धताओं के प्रति जिम्मेदार बने रहने का सङ्कल्प व्यक्त करते हैं और हमने अने मन्त्रियों एवं अधिकारियों को सहमत समय-सीमा के भीतर इन अनुशासनाओं को पूर्णतः कार्यान्वित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के अनुदेश दिए हैं।

ठोस, सतत और समुलित विकास की रूपरेखा

7. जी-20 की सर्वोच्च प्राथमिकता सुधार की प्रक्रिया को सङ्क्षिप्त एवं सङ्घर्षित करना तथा ठोस, सतत एवं समुलित विकास की आधारशिला का निर्माण करना और किसी प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध अने वित्तीय प्रणाली को सुदृढ बनाना है। इसलिए हम माण्ड में वृद्धि करने और विकास की प्रक्रिया को समुलित बनाए जाने, सार्वजनिक वित्त को सुदृढ करने तथा अने वित्तीय प्रणालियों को और भी मजबूत एवं पारदर्शी

बनाने के लिए जी-20 के अनेक सदस्य द्वारा की गई कार्रवाइयों एवं व्यक्त वचनबद्धताओं का स्वागत करते हैं। इन उपायों से हमारे सामूहिक हित कल्याण का बढ़ावा देने में पर्याप्त योगदान मिलेगा और साथ ही पूर्व में की गई कार्रवाइयों का लाभ भी मिलेगा। हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और ठोस एवं स्थाई सुधार को बढ़ावा देने के लिए यथाचित कार्रवाइयां करने में अपना सहयोग देना जारी रखेंगे।

8. हमने पिट्सबर्ग में ठोस, सतत एवं संतुलित विकास की जिस रूपरेखा की शुरुआत की थी, वही हमारे साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन होगा। इसके जरिए हम नीतिगत कार्रवाइयों की एकरूपता का आकलन करेंगे और अन्य नीतिगत रूपरेखाओं को सुदृढ़ बनाएंगे।

9. हमने अपनी पारस्परिक आकलन प्रक्रिया के प्रथम चरण को पूरा कर लिया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इससे भी बेहतर कार्य करने में सक्षम हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि यदि हम मध्यम अवधि के दौरान सुधार के और भी महत्वाकांक्षी मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो

- वार्षिक उत्पादन में लगभग 4 ट्रिलियन की वृद्धि होगी;
- 10 मिलियन नई नौकरियों का सृजन होगा;
- भारी संख्या में लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर किया जाएगा; और
- वार्षिक असंतुलनों में पर्याप्त कमी आएगी।

हम स्थाई आधार पर वार्षिक विकास की प्रक्रिया को संवर्धित करके ही सबसे गरीब देशों सहित अन्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।

10. हम सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देने, नौकरियों का सृजन करने तथा ठोस, सतत एवं संतुलित विकास दर को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की अपेक्षित कार्रवाइयां करने के प्रतिबद्ध हैं। ये कार्रवाइयां भिन्न राष्ट्रों की भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप होंगी चाहिए। आज हमने निम्नलिखित पर अपनी सहमति व्यक्त की है

- विकसित देशों में विकास हितशील राजकाशीय मजबूती एवं प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना विकास की इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने, नए संकटों का लघनीय प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने, बुजुर्ग जनता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने संबंधी क्षमताएं सुनिश्चित करने और भावी पीढ़ियों के लिए ऋण मुक्त विरासत

छोड़ने के लिए ठोस राजकोषीय नीतियों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। समायोजन की प्रक्रिया सोच-समझकर आरम्भ की जानी चाहिए जिसके आधार पर निजी माण्ड में सुधार की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिल सके। इस बात का जोखिम अवश्य है कि अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ सुनियोजित वित्तीय समायोजन से सुधार की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव भी ड़ सकता है। इस बात का भी जोखिम है कि आवश्यकता के अनुरूप सुधार की प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने में असफलता से विश्वास की भावना में कमी आएगी और विकास की गति भी प्रभावित होगी। इस सन्तुलन को प्रतिबिम्बित करते हुए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी राजकोषीय योजनाओं के प्रति अनी वचनबद्धता व्यक्त की है जिनसे वर्ष 2013 तक घाटे में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आ सकेगी और वर्ष 2016 तक जीपीपी अनुपातों के संदर्भ में सरकारी ऋण में स्थिरता आ जाएगी अथवा इसमें कमी आ जाएगी। जाण की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए हमने जाण सरकार की राजकोषीय मजबूती के संदर्भ में हाल में घोषित योजना का स्वागत किया है जिसमें विकास रणनीति पर बल दिया गया है। जिन देशों के समक्ष गंभीर राजकोषीय चुनौतियां हैं उन्हें राजकोषीय मजबूती की इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है। राजकोषीय मजबूती से संबंधित योजनाएं विश्वसनीय, स्पष्ट तथा भिन्न देशों के अनुरूप भिन्न होनी चाहिए और इनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने संबंधी उपायों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

- सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ बनाना, कारपोरेट शासन संबंधी सुधारों, वित्तीय बाजार विकास, अवसरचना पर होने वाले व्यय तथा कतिपय उदीयमान बाजारों में बेहतर विनिमय दर लोचनीयता को बढ़ावा देना;
- विकास की संभवनाओं को बढ़ावा देने के लिए और इन संभवनाओं को कायम रखने के लिए जी-20 के सभी देशों में आंचागत सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना; और
- वैश्विक मांग को संतुलित किए जाने की दिशा में और प्रगति करना।

मूल्य स्थिरता प्राप्त करने और विकास की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति का ालन किया जाना चाहिए।

11. जिन देशों का व्यापार घाटा बहुत अधिक बढ़ गया है, उन्हें राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए जबकि मुक्त बाजार व्यवस्था और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
12. जिन देशों में निर्यात की बहुतायत है, उन्हें बाहरी माण्ड पर अपनी निर्भरता में कमी लानी चाहिए और विकास के घरेलू स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
13. हम विकास की खाइयों को पाटने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें अल्प आय वाले देशों पर अपनी नीतिगत कार्रवाइयों के प्रभावों पर ही नजर रखनी चाहिए। हम विकास के वित्तपोषण को अपना सखक्षण देना जारी रखेंगे। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्रोतों से विकास को बढ़ावा देने वाले नए दृष्टिकोण भी शामिल हैं।
14. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन उपायों को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है और ये उपाय अलग-अलग देशों की परिस्थितियों के अनुरूप विशेष हामे चाहिए। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हम इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि विचार-विमर्शों के उपरान्त किए गए आकलन का दूसरा चरण भिन्न देशों एवं यूरपीय स्तर पर सघन्न किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर हम ऐसे अतिरिक्त उपायों की भी पहचान करेंगे, जो ठस, सतत एवं समुलित विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

15. हम ऐसी लघनीय वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करे, नैतिक विकृतियों में कमी लाए, क्रमबद्ध जखिमों के निर्माण की प्रक्रिया को सीमित करे तथा ठस एवं स्थाई आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। हमने विवेक पूर्ण नीतियों को मजबूत बनाकर, जखिम प्रबध्न में सुधार लाकर, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर तथा अघर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करते हुए वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इस दिशा में पर्याप्त कार्य किए गए हैं। हम यूरपीय स्थिरीकरण तब एवं सुविधा को पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने, यूरपीय बैंकों के सखध में जारी परीक्षणों के परिणामों को सार्वजनिक किए जाने सखधी यूरपीय सघ के निर्णय तथा हाल में पेश किए गए अमरीकी वित्तीय सुधार विधेयक का स्वागत करते हैं।

16. परन्तु अभी काफी काम किया जाना शेष है। इसके अनुरूप हम वाशिंगटन, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलनों में वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने संबंधी अपनी वचनबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यह कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। नए मानकों में परिवर्तन की प्रक्रिया में विकसित एवं उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में इन सुधारों के समग्र आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय आकलनों और समान समीक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे कि सभी निर्णयों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
17. सुधार संबंधी हमारी कार्यसूची चार आधारशिलाओं पर आधारित है।
18. पहली आधारशिला है, ठोस नियामक रूपरेखा। हमने बैंक पूंजी एवं तरलता के लिए नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा में बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबद्ध बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन सुधारों के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हुई है जिनसे हमारी बैंकिंग प्रणाली में लोचनीयता के स्तर पर में खासी वृद्धि होगी। नए सुधारों को पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने के उपरान्त पूंजी की राशि में पर्याप्त वृद्धि होगी और पूंजी की गुणवत्ता में भी खास सुधार आएगा। इसके फलस्वरूप बैंक असाधारण सरकारी सहायता के बिना ही हाल में आए वित्तीय संकट जैसे संकटों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेंगे। हम सियोल शिखर सम्मेलन में नई पूंजी रूपरेखा के संबंध में सर्वसम्मति की स्थापना करना चाहते हैं। हमने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि सभी सदस्य नए मानकों को अपनाएंगे और इन मानकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस प्रकार समाप्त किया जाएगा कि इससे आर्थिक सुधार की प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बाजारों में उथल-पुथल न आए। इसे वर्ष 2012 के अन्त तक कार्यान्वित किया जाना है और इसके वित्तीय निहितार्थों की सूचना वित्तीय स्थिरता बोर्ड और बीसीबीएस को दी जानी है। इन चरणबद्ध व्यवस्थाओं में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले आरम्भिक कार्यों एवं परिस्थितियों को परिलक्षित किया जाना चाहिए। यदि आरम्भ में नीतियों में कठोरता भिन्नता है, तो भी समय बीतने के साथ विभिन्न देशों की नीतियों में एकसूत्रता आएगी, जो नए वैश्विक मानकों के अनुरूप होंगे।
19. हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान और निष्पक्ष तरीके से सुरक्षित कोषों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों तथा ओवर दि काउंटर पैरिवेटिक्स की पारदर्शिता एवं नियामक क्षमता में सुधार लाने के लिए ठोस उपाय करते हुए कार्यान्वयन की गति में तेजी लाकर

- वित्तीय बाजार की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। हमने उच्च गुणवत्ता पर आधारित वैश्विक लेखाकरण मानक निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया के महत्व और यथोचित मुआवजे के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड के मानकों को कार्यान्वित किए जाने पर बल दिया।
20. दूसरी आधारशिला है, प्रभावी पर्यवेक्षण। हमने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि नए और ठोस नियमों को प्रभावी पर्यवेक्षण के साथ तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के परामर्श से वित्तीय स्थिरता बोर्ड को यह कार्य सौंपा है कि वह पर्यवेक्षण, विशेषकर अधिदेश, क्षमता एवं पर्यवेक्षकों की उपलब्धता से संबंधित पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु की गई अनुशंसाओं और आरम्भिक हस्तक्षेप सहित अन्य जोखिमों की पहचान करने के लिए आवश्यक विशिष्ट अधिकारों के संबंध में हमारे वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को अक्टूबर, 2010 में रिपोर्ट करे।
21. तीसरी आधारशिला है, सर्वांगी संस्थाओं की समस्याओं का समाधान करना। हम एक ऐसी प्रणाली की डिजाइन तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के प्रति वचनबद्ध हैं जिसके जरिए हमें करदाताओं पर बोझ डाले बिना संकट की स्थितियों में सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करने की शक्तियां प्राप्त हो सकें। इसके साथ ही हमें कार्यान्वयन को दिशा देने के लिए कतिपय सिद्धांतों का भी अनुपालन करना होगा। हमने वित्तीय स्थिरता बोर्ड से सियोल शिखर सम्मेलन के आयोजन तक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का प्रभावी समाधान करने हेतु ठोस नीतिगत अनुशंसाएं करने का अनुरोध किया है। नैतिक जोखिमों में कमी लाने के लिए अभी प्रभावी समाधान उपकरणों, विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं तथा वित्तीय बाजार की अवसंरचनाओं सहित एक नीतिगत रूपरेखा की आवश्यकता है। हमने इस बात पर भी अपनी सहमति व्यक्त की कि वित्तीय क्षेत्र को सरकारी हस्तक्षेपों से संबद्ध कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान करने की दिशा में यथोचित योगदान करना चाहिए जिससे कि वित्तीय प्रणाली में सुधार लाया जाए, धन की कमी को पूरा किया जाए और वित्तीय प्रणालियों में यदाकदा उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचा जाए। हमने इस बात को भी स्वीकार किया कि इस प्रयोजनार्थ विभिन्न नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए। कुछ देश वित्तीय उपकरण लगाने की प्रक्रिया में हैं। कतिपय अन्य देशों का अलग दृष्टिकोण है।

22. चौथी आधारशिला है, पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय आकलन एवं समान समीक्षा। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) के प्रति अपनी वचनबद्धता में वृद्धि की है और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के जरिए ठोस एवं पारदर्शी समान समीक्षा का समर्थन करने का संकल्प लिया है। हम करों में छूट, धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध युद्ध और विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन किए जाने के संबंध में व्यापक, सतत और पारदर्शी आकलन के आधार पर गैर सहकारी न्याय क्षेत्रों से संबद्ध समस्या का भी समाधान कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं विकास

23. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हालिया वित्तीय एवं आर्थिक संकट के संबंध में वैश्विक अनुक्रिया व्यक्त करने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 750 बिलियन अमरीकी डालर और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) द्वारा 235 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाने सहित इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण धन मुहैया कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। इससे वैश्विक सहयोग के महत्वपूर्ण मंचों के रूप में इन संस्थाओं की भूमिका का पता चलता है।
24. हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वैधता, विश्वसनीयता और प्रभाविता को संवर्धित करने के और भविष्य में इन्हें अपना और भी मजबूत भागीदार बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं।
25. इस प्रयोजनार्थ हमने बहुपक्षीय विकास बैंकों के संदर्भ में पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में व्यक्त वचनबद्धताओं को पूरा किया है। इसमें बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए 350 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त पूंजी का निर्माण शामिल है जिससे कि वे ऋण प्रदान करने की अपनी क्षमता को दो गुना कर पाने में समर्थ हो सकें। इस अतिरिक्त पूंजी का उपयोग चलाए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और इन संस्थाओं को और भी पारदर्शी, जिम्मेदार तथा प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर लाया जा सके, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके तथा जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से संबद्ध समस्याओं का समाधान किया जा सके।
26. हम बहुपक्षीय विकास बैंकों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघों एवं अफ्रीकी विकास कोष की रियायती ऋण सुविधाओं में महत्वाकांक्षी वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रति भी अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं।

27. हमने वर्ष 2008 से ही विश्व बैंक के भागीदारों द्वारा सहमत विभिन्न महत्वपूर्ण सुधारों का भी समर्थन किया है जिसके फलस्वरूप विकासशील और सङ्क्रमणकालीन देशों के मताधिकार में वृद्धि हो जाएगी।
28. हम वर्ष 2008 के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कष के को तथा मताधिकार संशोधन और ऋण लेने के लिए की गई नई व्यवस्थाओं के विस्तार से संबद्ध समझौतों का अनुसमर्थन भी सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं।
29. हमने सियोल शिखर सम्मेलन के आयोजन तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कष द्वारा को में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में किए जा रहे ठोस कार्यों और पिट्सबर्ग में की गई वचनबद्धताओं के अनुरूप शासन संबंधी अन्य सुधारों को गति प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं।
30. आज हम सभी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों एवं वरिष्ठ कार्यपालकों के चयन हेतु मुक्त, पारदर्शी एवं प्रतिभा आधारित प्रक्रिया के प्रति पूर्व में की गई वचनबद्धता को दहराते हैं। इस संदर्भ में व्यापक सुधारों के लिए हम सियोल शिखर सम्मेलन के उपरान्त चयन प्रक्रिया में सुधार संबंधी मुहिम को सुदृढ बनाएंगे।
31. हमने अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को वश्विक वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ बनाने संबंधी नीतिगत विकल्प तयार करने का कार्य सौंपा है जिसे सियोल शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा लक्ष्य और भी स्थाई एवं लघनीय अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निर्माण करना है।
32. हम हल्ली की जनता के साथ अपनी एकजुता व्यक्त करते हैं और हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा हल्ली को दिए गए समग्र ऋणों को पूरी तरह से निरस्त करते हुए उन्हें अन्य प्रकार की पुनर्निर्माण सहायता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त करते हैं। हम हल्ली पुनर्निर्माण को का शुभारंभ किए जाने का भी स्वागत करते हैं।
33. हमने एसएमई वित्त चुनौती तब की भी शुरुआत की है और बहुपक्षीय विकास बैंकों को ठोस सहायता प्रदान करने सहित अन्य उपायों के जरिए उपयोगी प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु निधियां एकत्र करने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं। नवाचार आधारित वित्तीय समावेश के लिए हमने कतिपय सिद्धांतों का भी विकास किया है।
34. हम खाद्य सुरक्षा के संबंध में पिट्सबर्ग में की गई वचनबद्धता को पूरा करते हुए वश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने का स्वागत करते हैं, जो कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबद्ध वश्विक भागीदारी को कार्यान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आगे हम कृषि नवाचारों के लिए निजी क्षेत्र का उपयोग करने हेतु नवाचार एवं परिणाममुख तबों का पता लगाने की भी अपनी

वचनबद्धता व्यक्त करते हैं। हम ला अकिला पहल को पूर्णतः कार्यान्वित करने तथा इसके सिद्धांतों का लागू करने का आह्वान करते हैं।

संरक्षणवाद का मुकाबला और व्यापार एवमनिवेश का समर्थन

35. हाल में आए वैश्विक आर्थिक संकट के कारण पिछले 70 से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान व्यापार में तीव्रतम कमी दर्ज की गई, परन्तु जी-20 देशों ने व्यापार और निवेश अवसरों के लिए अपने बाजारों को मुक्त रखा। यही सही विकल्प था।
36. हम अगले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2013 के अंत तक के लिए निवेश अथवा सामानों और सेवाओं के व्यापार के समक्षा नई बाधाएं लगाने और नए निर्यात नियंत्रण बनाने अथवा विश्व व्यापार संगठन के प्रतिकूल सिद्धांतों को लागू करने से परहेज करने की वचनबद्धता व्यक्त करते हैं। हम राजकोषीय नीतियों एवमवित्तीय क्षेत्र को समर्थन देने वाली कार्रवाइयों सहित अन्य उपायों के जरिए घरेलू नीतियों के कारण व्यापार और निवेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी सीमित करने का प्रयास करेंगे। हम विश्व व्यापार संगठन, ओईसीपी और अकटाप से उनके अपने-अपने अधिदेशों के अंतर्गत स्थिति पर नजर रखने और तिमाही आधार पर इन वचनबद्धताओं की सूचना सार्वजनिक स्तर पर प्रसारित करने का अनुरोध करते हैं।
37. मुक्त बाजार विकास को बढ़ावा देने और नौकरियों के सृजन और ठोस, सतत एवम समुलित विकास के लिए जी-20 रूपरेखा के तहत हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम ओईसीपी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन से अनुरोध करते हैं कि सियोल में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में रोजगार एवमविकास के लिए व्यापार उदारीकरण की अनिवार्यता और इसके लाभों का प्रचार-प्रसार करे।
38. अतः हम विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास दौर के अधिदेशों के अनुरूप और अब तक हुई प्रगति के आधार पर यथासंभव शीघ्र इसका समुलित और महत्वाकांक्षी निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को वार्ता से जुड़े तौर-तरीकों का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य का पालन करने और इससे संबंधित प्रगति की जानकारी सियोल में आयोजित की जाने वाली बैठक में मुहल्ला कराने का निदेश देते हैं, जहां हम वार्ता की स्थिति और आगे के मार्गों पर चर्चा करेंगे।
39. हम व्यापार के लिए सहायता दिए जाने की प्रक्रिया में प्राप्त गतिशीलता को कायम रखने का संकल्प व्यक्त करते हैं। हम विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों

सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अपनी क्षमताओं में समर्थन करने और व्यापार का सुविधाजनक बनाए जाने की प्रक्रिया का समर्थन करने का अनुरोध करते हैं जिससे विश्व स्तर पर व्यापार का प्रोत्साहन मिल सकेगा।

अन्य मुद्दे तथा आगे की कार्यसूची

40. हम इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण बाजारों की साख पर खतरा उत्पन्न हुआ है। न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। संसाधनों के आवक में विकृति आती है। जनता का विश्वास समाप्त हुआ है और विधिसम्मत शासन का धक्का पड़ता है। हम जी-20 के सभी देशों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थित और पूर्णतः कार्यान्वित करने तथा अन्य देशों का भी ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित करने का आह्वान करते हैं। हम यूएनसीएसी के उपबन्धों के अनुरूप समीक्षाओं का पूर्णतः कार्यान्वित करेंगे। भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करने के लिए पिट्सबर्ग के बाद से हुई प्रगति से आगे बढ़ते हुए हमने कार्रवाई में जी-20 के नेताओं के विचारार्थ व्यापक अनुशासन करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना करने पर भी सहमति व्यक्त की है। अगले सम्मेलन में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में जी-20 द्वारा व्यावहारिक एवं उपयोगी योगदान करने और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इन चर्चाओं में रिश्वत विरोधी प्रभावों नियमों का निर्माण और अनुपालन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का मुकाबला, वित्तीय प्रणालियों में भ्रष्टाचार व्यक्तियों की पहचान पर रोक लगाना, उन्हें वीजा नहीं देने में सहायता, प्रत्यर्पण और परिसंपत्ति वसूली तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा शामिल है।
41. हम अर्थव्यवस्था में हरित सुधार और स्थाई वैश्विक विकास बहाल करने के प्रति अपनी वचनबद्धता का दाहराते हैं। हमें से जो देश कोपेनहेगन समझौते के साथ सहयोजित रहे हैं, वे इसके सिद्धांतों के कार्यान्वयन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं और अन्य देशों का भी इससे सहयोजित होने का आह्वान करते हैं। हम वस्तुनिष्ठ उपबन्धों एवं सिद्धांतों, जिनमें साझे परन्तु भिन्न दायित्वों एवं अलग-अलग क्षमताओं से सम्बद्ध सिद्धांत भी शामिल हैं, के आधार पर यूएनएफसीसीसी के तहत चलाई जाने वाली वार्ताओं में शामिल होने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं और साथ ही हम कानकुन में आयोजित होने वाले सम्मेलन में एक समावेशी प्रक्रिया के जरिए सफल निष्कर्ष सुनिश्चित करने की भी अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं। हम

- 29 नवंबर से 20 दिसंबर, 2010 तक कानकुन में आयोजित होने वाले पक्षकारों के 16वें सम्मेलन को -16 की मेजबानी करने तथा वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने की दिशा में मेक्सिको द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। हमें जलवायु परिवर्तन की समस्या का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के वित्तपोषण पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्चस्तरीय रामर्शी दल के निष्कर्षों की प्रतीक्षा है जिसमें अन्य के साथ-साथ वित्त के नए स्रोतों का भी पता लगाया जाएगा।
42. हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक), ओईसीडी और विश्व बैंक द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी पर प्रकाशित रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम अप्रभावी जीवाश्म ईंधनों पर दी जा रही सब्सिडी, जिससे व्यर्थ खपत का बढ़ावा मिलता है का समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित नीतियों एवं संधियों को कार्यान्वित किए जाने के संबंध में वित्त एवं ऊर्जा मंत्रियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्वागत करते हैं। ऐसा करने की प्रक्रिया में कमजोर समूहों और उनकी विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। हम विशेष देशों के लिए विशेष रणनीतियों का पूर्ण कार्यान्वयन जारी रखने की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करते हैं और हम आगामी शिखर सम्मेलनों में भी अपनी इस वचनबद्धता की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा करना जारी रखेंगे।
43. हाल में मेक्सिको की खाड़ी में तेल प्लग जाने की घटना के उपरान्त हम समुद्री पर्यावरण को संरक्षित रखने, ऑफशोर उत्खनन एवं विकास से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने तथा तेल के परिवहन और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।
44. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्ष 2010 विकास मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। सितंबर, 2010 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण सत्र में हमें वैश्विक विकास कार्यसूची और वैश्विक भागीदारी की पुष्टि करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। इसके साथ ही हम वर्ष 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर सहमति व्यक्त करेंगे तथा सबसे गरीब देशों की सहायता करने संबंधी आनी-आनी वचनबद्धताओं की पुष्टि करेंगे।
45. इस संबंध में अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के साथ मिलकर कार्य करना आवश्यक है जिससे कि हम उन्हें वैश्विक आर्थिक प्रणाली के लाभों में सक्रिय भागीदार बना सकें। तदनुसार हम जून, 2011 में अल्प विकसित देशों से संबद्ध चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी करने संबंधी निर्णय लेने के लिए तुर्की को धन्यवाद देते हैं।

46. हम वैश्विक पल्स ाहल की अंतरिम रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और इसे अद्यतन बनाना चाहते हैं।
47. विकास की खाई को कम करना और गरीबी में कमी लाना ठोस, सतत एवं संतुलित विकास प्राप्त करने संबंधी हमारे व्यापक लक्ष्य और सभी देशों के लिए ठोस एवं लोचनीय वैश्विक आर्थिक प्रणाली का सुनिश्चय करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हम विकास से संबद्ध कार्यकारी दल की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त करते हैं और इसे विकास एवं लोचनीयता को बढ़ावा देने संबंधी जी-20 के उद्देश्यों के अनुसरण में व्यापक अधिदेश प्रदान करते हैं जिसे सियोल में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में पारित किया जाएगा।
48. हमारी अगली बैठक 11-12 नवंबर, 2010 तक सियोल, कोरिया में होगी। नवंबर, 2011 में हम इस बैठक का आयोजन फ्रांस की अध्यक्षता में करेंगे और वर्ष 2012 में यह बैठक मेक्सिको की अध्यक्षता में होगी।
49. हम टोरंटो शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी करने के लिए कनाडा को धन्यवाद देते हैं।

अनुबंध-1

ठोस सतत एवं संतुलित विकास की रूपरेखा

1. वाशिगटन, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलनों में सहमत उच्च स्तरीय समन्वय के आधार की गई असाधारण नीतिगत पहलकदमियों के परिणामस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत कहीं तेजी से सुधार आया है। पिछले दो वर्षों के दौरान हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों एवं की गई अभूतपूर्व कार्रवाइयों से मंदी की प्रक्रिया को सीमित करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने में मदद मिली है।
2. हालांकि, अभी जोखिम समाप्त नहीं हुए हैं। अनेक जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी अभी भी अभूतपूर्व स्तर पर विद्यमान है। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया विभिन्न जी-20 देशों में असमान बनी हुई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं एवं उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के बीच भी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में अंतर बना हुआ है। ये बातें सतत आर्थिक विस्तार के समक्ष खतरा उत्पन्न करती हैं। इस बात के भी जोखिम हैं कि यदि अतिरिक्त नीतिगत कार्रवाइयों नहीं की जाती हैं, तो वैश्विक चालू खाता असंतुलनों में और वृद्धि होगी। हालांकि वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने तथा सुधार की कार्यसूची को आगे बढ़ाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है परन्तु वित्तीय बाजारों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और ऋण का प्रवाह अभी भी पूर्व की भांति बहाल नहीं हो पाया है। कुछ देशों में बृहत्तर राजकाषीय घाटों एवं ऋण के बढ़ते स्तर के सम्बंध में भी चिन्ताएँ विद्यमान हैं, जहाँ अनिश्चितता एवं वित्तीय बाजारों की स्पष्टनशीलता के स्रात बने हुए हैं।
3. जी-20 की सबसे बड़ी प्राथमिकता आर्थिक सुधार की जारी प्रक्रिया का सुरक्षित और सुदृढ़ बनाना और हमारी वित्तीय प्रणालियों का विभिन्न ज़खिर्मों से सुरक्षित रखते हुए ठोस, सतत एवं संतुलित विकास की आधारशिला का निर्माण करना है। अतः हम जी-20 के सदस्य देशों द्वारा की गई कार्रवाइयों एवं व्यक्त वचनबद्धताओं का स्वागत करते हैं। हाल में उठाए गए कदमों में खासकर कर हम यूरोपीय वित्तीय स्थिरता तंत्र और सुविधा के पूर्ण कार्यान्वयन, यूरोपीय बैंकों में जारी परीक्षण प्रक्रिया के परिणामों का सार्वजनिक करने सम्बंधी यूरोपीय सभ के निर्णय और अनेक जी-20 देशों द्वारा हाल में राजकाषीय मजबूती का बढ़ावा देने सम्बंधी याचनाओं और लक्ष्यों की घोषणा किए जाने इत्यादि का भी स्वागत करते हैं। ये कदम हमारे सामूहिक हित कल्याण के प्रति वास्तविक योगदान और पूर्व में उठाए गए कदमों से आगे बढ़ने की प्रक्रिया

- का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और ठोस एवं अस्थायी आर्थिक सुधार को बचावा देने के लिए की जाने वाली उक्त कार्रवाइयों का समर्थन करना जारी रखेंगे।
4. हमने पिट्सबर्ग में विकास की जिस ठोस, सतत एवं समुचित रूपरेखा का शुभारंभ किया था, वह हमारे साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने का आधार बन सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था का समग्र हित कल्याण सुनिश्चित करना जी-20 सदस्य देशों की जिम्मेदारी है। हमने अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में सामूहिक निरन्तरता सुनिश्चित करने और साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यमान नीतिगत रूपरेखाओं को सुदृढ़ बनाने की भी वचनबद्धता व्यक्त की। सामूहिक नीतिगत कार्रवाइयों के जरिए हम यह सुनिश्चित करेंगे की विकास की प्रक्रिया स्थायी एवं समुचित हो तथा इसका लाभ विश्व के सभी देशों और क्षेत्रों को मिले और यह प्रक्रिया हमारे विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।
 5. हमने वार्षिक आकलन प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया है। जैसा कि हमने पिट्सबर्ग में अनुरोध किया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ओईसीडी, आइएलओ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता से जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने वार्षिक नीतिगत परिदृश्य के अंतर्गत अलग-अलग देशों की नीतिगत रूपरेखाओं की सामूहिक निरन्तरता और विश्विक संभावनाओं का आकलन किया है।
 6. यह आकलन किया गया कि समन्वित नीतिगत अनुक्रिया के अभाव में: विश्विक उत्पादन के आर्थिक संकट पूर्व प्रवृत्तियों से नीचे बने रहने की संभावना है। अधिकांश देशों में बेरोजगारी की दर आर्थिक संकट पूर्व के स्तरों पर बनी रह सकती है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटा और ऋण अस्वीकार्य स्तर तक बढ़ सकता है और विश्विक चालू खाता असंतुलन, जो संकट के दौरान काफी कम हो गया था, दुबारा व्यापक हो सकता है। इसके अतिरिक्त समन्वित नीतिगत अनुक्रिया के अभाव में मंदी की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
 7. हम इस निष्कर्ष पर हैं कि हम इससे भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि यदि हम मध्यम अवधि में सुधारों के और भी महत्वाकांक्षी मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो:
 - विश्विक उत्पादन में 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हो सकती है।
 - 52 मिलियन नौकरियों का सृजन किया जा सकता है।
 - 90 मिलियन लोगों को गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है और
 - विश्विक चालू खाता असंतुलनों में पर्याप्त कमी जा सकती है।

यदि हम समन्वित तरीके से कार्य करे, तो वर्तमान में और भविष्य में सभी क्षेत्रों को समृद्धि का लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे गरीब देशों सहित अन्य देशों की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सतत आधार पर वैश्विक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है।

8. हम आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कायम रखने, नौकरियों का सृजन करने तथा ठोस, सतत एवं समुचित विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाइयाँ करने के प्रति वचनबद्ध हैं। ये कार्रवाइयाँ विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न होंगी। आज हमने निम्नलिखित पर अपनी सहमति व्यक्त की है:
- विकसित देशों में 'विकास हितैषी' राजकोषीय मजबूती एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना जिन्हें बढ़-चढ़कर कार्यान्वित किया जाएगा;
 - सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, कारपोरेट शासन के सुधारों का बढ़ावा देना, वित्तीय बाजारों का विकास करना, अवसंरचना पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करना और कुछ उदीयमान बाजारों में विनिमय दर लचीलता का संवर्धन करना;
 - जी-20 के सभी सदस्य राष्ट्रों में आगामी सुधारों का बढ़ावा देना जिससे कि विकास की संभावनाओं का संवर्धित किया जा सके; और
 - वैश्विक माण्डल और समुचित बनाने की दिशा में प्रगति करना।

मूल्यों की स्थिरता प्राप्त करने और इस प्रकार आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में योगदान करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीतियों का निर्माण किया जाना उपयुक्त होगा।

9. विकसित देशों में विकास हितैषी राजकोषीय मजबूती एवं प्रोत्साहनों का बढ़ावा देना विकास की इस प्रक्रिया का बढ़ावा देने, नए संकटों का लचील प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने, बुजुर्ग जनता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने संबंधी क्षमताएं सुनिश्चित करने और भावी पीढ़ियों के लिए ऋण मुक्त विरासत छोड़ने के लिए ठोस राजकोषीय नीतियों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। समायोजन की प्रक्रिया स्पष्ट-समझकर आरंभ की जानी चाहिए जिसके आधार पर निजी माण्डल में सुधार की प्रक्रिया का भी बढ़ावा मिल सके। इस बात का ज़खिम अवश्य है कि अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ सुनियोजित वित्तीय समायोजन से सुधार की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इस बात का भी ज़खिम है कि आवश्यकता के अनुरूप सुधार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वित करने में असफलता से विश्वास की भावना में कमी आएगी और विकास की गति भी प्रभावित होगी। इस

संतुलन को प्रतिबिंबित करते हुए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी राजकोषीय योजनाओं के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है जिनसे वर्ष 2013 तक घाटे में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आ सकेगी और वर्ष 2016 तक जीडीपी अनुपातों के संदर्भ में सरकारी ऋण में स्थिरता आ जाएगी अथवा इसमें कमी आ जाएगी। जापान की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए हमने जापान सरकार की राजकोषीय मजबूती के संदर्भ में हाल में घोषित योजना का स्वागत किया है जिसमें विकास रणनीति पर बल दिया गया है। जिन देशों के समक्ष गंभीर राजकोषीय चुनौतियां हैं उन्हें राजकोषीय मजबूती की इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है। राजकोषीय मजबूती से संबंधित योजनाएं विश्वसनीय, स्पष्ट तथा भिन्न देशों के अनुरूप भिन्न होनी चाहिए और इनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने संबंधी उपायों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

10. हमने इन विकसित देशों द्वारा राजकोषीय मजबूती से संबद्ध योजनाओं को निर्देशित करने के लिए कुछ सिद्धांतों पर भी अपनी सहमति व्यक्त की है:

- राजकोषीय मजबूती से संबद्ध योजनाएं विश्वसनीय होंगी। ये आर्थिक विकास एवं हमारी राजकोषीय स्थितियों के विवेकपूर्ण आकलन पर आधारित होंगी और इनके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राजकोषीय निरन्तरता बनी रहे। संवर्धित बजटीय रूपरेखाएं एवं संस्थान राजकोषीय मजबूती से संबंधित रणनीतियों की विश्वसनीयता के आधार बन सकते हैं।
- मध्यावधिक राजकोषीय योजनाओं की जानकारी देने का सही समय यही है। हम स्पष्ट एवं विश्वसनीय योजनाएं बनाएंगे, जिनसे हमारी राजकोषीय स्थिति में मजबूती आए। राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों को वापस लेने की गति और समय तथा घाटों एवं ऋण में कमी लाने के बीच विभिन्न देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं विश्व अर्थव्यवस्था की जरूरतों के आधार पर अंतर बनाए रखा जाएगा। तथापि, यह स्पष्ट है कि राजकोषीय मजबूती की इस प्रक्रिया का शुभारंभ वर्ष 2011 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किया जाना चाहिए और जिन देशों में फिलहाल राजकोषीय घाटे की चुनौती है, उनमें यह कार्य तत्काल किया जाना चाहिए।
- राजकोषीय मजबूती की प्रक्रिया में उन उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। हम अपने राजकोषीय संसाधनों का और प्रभावी उपयोग करने के तौर-तरीकों की जांच करेंगे और इन संसाधनों को उन स्थानों पर लगाएंगे जहां इनकी सबसे अधिक जरूरत है। इसके अतिरिक्त हम प्रांजागत सुधारों पर भी विशेष बल देंगे जिससे दीर्घावधिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

11. जिन देशों में राजकोषीय घाटे की मात्रा में काफी वृद्धि हो चुकी है उनमें राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए जबकि बाजार को खुला रखा जाना चाहिए और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की जानी चाहिए।
12. जिन देशों में निर्यात की बहुतायत है, उन्हें बाहरी माण्ड पर अपनी निर्भरता में कमी लानी चाहिए और विकास के घरेलू स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे ये अर्थव्यवस्थाएँ बाह्य सदमों को बर्दाश्त करने के लिए लोचनीय बन सकेंगी और साथ ही इससे स्थाई विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करने के लिए निर्यात की बहुतायत वाली अर्थव्यवस्थाएँ आगामी सुधारों पर विशेष बल दें और साथ ही घरेलू माण्ड में वृद्धि की प्रक्रिया का समर्थन करें। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप निम्नलिखित सुधार किए जाएँ:
- सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क (जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पेंशन योजनाएँ, कारपोरेट शासन एवं वित्तीय बाजार विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि एहतियाती बचत में कमी लाने में मदद मिल सके और निजी व्यय को बढ़ावा मिल सके;
 - अवसञ्चना पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करना जिससे उत्पादकता को बढ़ावा मिले और आपूर्ति में आने वाली बाधाएँ दूर हो सकें; और
 - विनिमय दर की लोचनीयता में वृद्धि हो जिससे कि अर्थव्यवस्था के मौलिक तत्वों को बढ़ावा मिले। विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव निश्चित रूप से समग्र अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था के मौलिक तत्वों को परिलक्षित करने वाले बाजारोन्मुख विनिमय दर से वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है।
13. जी-20 के सभी सदस्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आगामी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अतः आर्थिक विकास एवं वैश्विक कल्याण पर पड़ता है। हम ऐसे उपायों को कार्यान्वित करेंगे जिनसे हमारी अर्थव्यवस्थाओं की विकास क्षमता में इस प्रकार वृद्धि हो कि विश्व के सबसे गरीब देशों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यदि उत्पादकता के अनुरूप मजदूरी में भी वृद्धि की जाती है, तो सुधारों के आधार पर माण्ड की प्रक्रिया में भी विस्तार किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि बाजार प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास से संबद्ध नीतियों एवं विभिन्न देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने वाली नीतियों के बीच सही समुलन स्थापित किया जाए। इन उपायों से माण्ड में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं, खासकर उन अर्थव्यवस्थाओं जिनमें हालिया आर्थिक संकट का दौरान उत्पादन क्षमता पर अत्यंत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, में उत्पाद, सघा एवं श्रम बाजारों का संबद्ध सुधार। श्रम बाजार का संबद्ध सुधारों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: बहतर लक्षित राजगारी लाभ एवं प्रभावी श्रम बाजार नीतियां (अर्थात् नौकरियां बनाए रखना, नौकरियों की खोज एवं कौशल विकास कार्यक्रम तथा श्रमिकों की आवाजाही का बढ़ावा देना)। इनमें राजगार का बढ़ावा देना के लिए बहतर मजदूरी की मांग करना एवं उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना भी शामिल है। उत्पाद एवं सघा बाजार सुधारों में सघा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा देना, नष्टवर्क उद्योगों, व्यावसायिक सघाएं एवं खुदरा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा समक्ष का उत्पन्न बाधाओं का दूर करना, नवाचार का बढ़ावा देना तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा का समक्ष आनावाली बाधाओं का दूर करना इत्यादि शामिल है।
 - श्रमिकों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंधों में कमी करना, विदेशी निवेश अवसरों में वृद्धि करना और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उत्पाद बाजार विनियमों का सरल बनाना।
 - नए संरक्षणवादी उपायों का परहज करना।
 - दाहा दौर की वार्ताओं का शीघ्रतिशीघ्र समापन करना जिससे कि व्यापार प्रवाहों का जरिए वैश्विक विकास की गति में वृद्धि की जा सके। मुक्त व्यापार का सभी दशों का पर्याप्त लाभ होगा और वैश्विक संतुलन की स्थापना में मदद मिलेगी।
 - वित्तीय सुधार की प्रक्रिया में तभी लाना के लिए कार्यवाहियां करना। विकसित दशों में वित्तीय क्षेत्र विनियम एवं पर्यवक्षण की कमजरियों का कारण ही हाल का आर्थिक संकट आया था। हम जी-20 की वित्तीय सुधार कार्यसूची का कार्यान्वित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मजबूत वित्तीय प्रणाली का अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतें पूरी हो सकें। हालांकि इस संकट में उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय क्षेत्रों का बहुत अधिक यदान नहीं था परन्तु इन अर्थव्यवस्थाओं में भी और विकास किए जाना की आवश्यकता है जिससे कि ये आर्थिक विकास एवं प्रगति की उच्च दर का बढ़ावा देना और कायम रखना के लिए विभिन्न सघाएं उपलब्ध करा सकें। यह भी महत्वपूर्ण है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय सुधार की प्रक्रिया में उदीयमान एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय प्रवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव को लाना वाला कारकों पर नजर रखी जाए। मुक्त पूंजी बाजार सुनिश्चित करना और वित्तीय संरक्षणवाद का बचन का संदर्भ में भी हमें सतर्क रहना की आवश्यकता है।
14. हम वैश्विक आर्थिक संकट का कारण राजगार पर पड़ना वाला प्रभावों का संबंध में अप्रैल, 2010 में हुई अपना श्रम एवं राजगार मंत्रियों की बैठक में की गई अनुशंसाओं

- का स्वागत करते हैं। हम नौकरियों में ठोस वृद्धि सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों के सबसे कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धता की भी पुष्टि करते हैं। प्रभावी रोजगार नीति में सबसे अधिक महत्व अच्छी नौकरियों के सृजन पर दिया जाना चाहिए। हम प्रशिक्षण रणनीति पर ओईसीडी के परिामर्श से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सञ्चालन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं जिससे उपलब्ध कार्यबल को वर्तमान और भावी नौकरियों के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान किया जा सके।
15. हम विकास के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें अल्प आय वाले देशों पर अपनी नीतिगत कार्रवाइयों के प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। हम विकास के लिए वित्तपोषण को समर्थन देना जारी रखेंगे। इस कार्य में सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से विकास वित्तपोषण का बढ़ावा देना शामिल है। हालिया आर्थिक संकट का विश्व के सभी क्षेत्रों के गरीब देशों की विकास संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। इन चुनौतियों में विकासशील देशों के समक्ष सार्वजनिक और निजी स्रोतों से धन प्राप्त करने की भी एक चुनौती है। हममें से अनेक देशों ने पहले ही वित्तपोषण से संबंधित नए दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन करके इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। इन दृष्टिकोणों में बाजार के प्रति वचनबद्धता, एसएमई चुनौतियाँ और वित्तीय समावेश के संबंध में हाल में हुई प्रगति को शामिल किया जा सकता है। अल्प आय वाले देश भी समुचित वार्षिक विकास की प्रक्रिया में ठोस योगदान देने की क्षमता रखते हैं और उन्हें भी निवेश के लिए बाजार माना जाना चाहिए।
16. इन उपायों का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही ये उपाय विभिन्न देशों की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। हम अपने साझे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जी-20 के कुछ सदस्यों द्वारा घोषित अतिरिक्त उपायों का भी स्वागत करते हैं।
17. इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न देशों और यूरोपीय स्तर पर विभिन्न देशों की अध्यक्षता में पारस्परिक आकलन संबंधी कार्य का दूसरा चरण आरम्भ किया जाएगा। जी-20 के प्रत्येक सदस्य देश आज सहमत नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए अतिरिक्त उपायों की पहचान करेंगे जिससे कि और भी ठोस, सतत एवं समुचित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। हम अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को इन उपायों पर गहन विचार-विमर्श करने और इनकी रिपोर्ट अगली बैठक में देने का कार्य सौंपते हैं। हम आवश्यकता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विश्व बैंक, ओईसीडी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सञ्चालन और अन्य

- अंतर्राष्ट्रीय सगठनों की विशेषता का लाभ लेना जारी रखेंगे। ये उपाय हमारी व्यापक कार्य योजना के आधार होंगे जिसकी घोषणा सियाल में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में की जानी है। हम ठाम, सतत एवं समुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जबकि हम आर्थिक विकास के सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयामों का ध्यान में रखते हुए माप सखधी उपायों का भी प्रसाहित करेंगे।
18. हमने पहले उठाए गए महत्वपूर्ण नीतिगत कदमों के साथ आज का नीतिगत वचनबद्धता की हैं उनसे ठाम, सतत एवं समुलित विकास के हमारे लक्ष्य का प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसके लाभ जी-20 सदस्य देशों के भीतर और सम्पूर्ण विश्व में महसूस किए जा सकेंगे।

अनुबंध-II वित्तीय क्षेत्र सुधार

1. इस वित्तीय संकट के कारण विभिन्न देशों को भारी व्यय का वहन करना पड़ा है। हमें इसकी पुनरावृत्ति होने की अनुमति नहीं देनी है। हाल की वित्तीय संवेदनशीलता से वित्तीय सुधार की प्रक्रिया का पूरा करने हेतु मिलजुलकर कार्य करने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। हम ऐसी लोचनीय वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करे, नैतिक विकृतियों में कमी लाए, क्रमबद्ध जोखिमों के निर्माण की प्रक्रिया को सीमित करे तथा ठोस एवं स्थाई आर्थिक विकास को बढ़ावा दे।
2. हमने विवेकपूर्ण नीतियों को मजबूत बनाकर, जोखिम प्रबंधन में सुधार लाकर, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करते हुए वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इस दिशा में पर्याप्त कार्य किए गए हैं। हम यूरोपीय स्थिरीकरण तंत्र एवं सुविधा को पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने, यूरोपीय बैंकों के संबंध में जारी परीक्षणों के परिणामों को सार्वजनिक किए जाने संबंधी यूरोपीय संघ के निर्णय तथा हाल में पेश किए गए अमरीकी वित्तीय सुधार विधेयक का स्वागत करते हैं।
3. परन्तु अभी काफी काम किया जाना शेष है। सतत वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में और सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। हमारी वित्तीय संस्थाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उनके तुलनात्रों को संतुलित बनाने के प्रयोजनार्थ वित्तीय संशोधन और सुधार की प्रक्रिया में भी प्रगति अपेक्षित है जिससे कि वास्तविक अर्थव्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता और तीव्र विकास को बढ़ावा मिल सके। हाल में उठाए गए कदमों में खासकर कर हम यूरोपीय वित्तीय स्थिरता तंत्र और सुविधा के पूर्ण कार्यान्वयन, यूरोपीय बैंकों में जारी परीक्षण प्रक्रिया के परिणामों को सार्वजनिक करने संबंधी यूरोपीय संघ के निर्णय का भी स्वागत करते हैं।
4. हम वाशिंगटन, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलनों में वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने संबंधी अपनी वचनबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इस कार्य में विकसित एवं उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त बृहत आर्थिक प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पूंजी एवं तरलता

5. हमने इस बात पर भी अपनी सहमति व्यक्त की कि वित्तीय क्षेत्र सुधारों की कार्यसूची पूंजी एवं तरलता में सुधार लाने और अत्यधिक लीवरेजिण का हताहताहित करने पर आधारित है। हमने पूंजी की गुणवत्ता एवं मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय निरन्तरता में वृद्धि करने, तरलता मानकों का सुदृढ बनाए जाने और अत्यधिक जखिम लेने की प्रवृत्ति का हताहताहित करने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की है।
6. हमने बैंकों की पूंजी और तरलता के लिए नई वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बद्ध बेसल समिति (बीसीडीएस) द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और हम इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्वागत करते हैं। उन सुधारों का संबंध में भी ठोस प्रगति हुई है जिनका हमारी बैंकिंग प्रणालियों में लाभनीयता का स्तर में पर्याप्त वृद्धि होगी।
 - इन सुधारों का पूर्ण कार्यान्वयन किए जाने का पश्चात पूंजी की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि होगी।
 - गुणवत्ता आधारित पूंजी की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि होगी जिसका कि वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति करना संबंधी बैंकों की क्षमता में वृद्धि होगी।
7. हम सियाल में आयोजित हुए वास्तु जी-20 शिखर सम्मेलन में पूंजीगत रूपरखा का संबंध में एक ऐसी सहमति प्राप्त करना का समर्थन करते हैं, जिसका निम्नलिखित का द्वारा पूंजी की अनिवार्यताओं में वृद्धि हो सकेगी:
 - ऐसी अनिवार्यता का निर्माण करना जिसका तहत प्रत्येक बैंक एक स्तरीय निम्नतम पूंजी और साझी इक्विटी की हिस्सेदारी अपने पास रखे, परिसंपत्तियों से संबंधित जखिमों का आकलन करते हुए कतिपय प्रतिशत का निर्धारण करे ताकि भविष्य में असाधारण सरकारी सहायता के बिना वित्तीय हानि सहन करने संबंधी बैंकों की क्षमता में वृद्धि हो सके और इस प्रकार के वित्तीय संकट से संबद्ध परिणामों से बचा जा सके।
 - साझी इक्विटी के स्तर पर आम तौर पर अनुप्रयुक्त कमियों के वैश्विक स्तर पर सतत एवं पारदर्शी तरीकों की ओर बढ़ना अथवा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के मामलों में विश्व स्तर पर अनुकूल संक्रमणकालीन अवधि की दिशा में आगे बढ़ना।
8. पिट्सबर्ग जी-20 शिखर सम्मेलन में हमारे बीच हुई इस सहमति की बेसल-2 की अनुशंसाओं का वर्ष 2010-11 तक सभी प्रमुख देशों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, हमने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सभी सदस्य राष्ट्र नए मानकों का स्वीकार करेंगे और इन्हें चरणबद्ध तरीके से ऐसी निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाप्त करेंगे

- जिससे कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बाजारों में भी व्यवधान उत्पन्न न हो। हमारा उद्देश्य है कि इसे वर्ष 2012 के अन्त तक कार्यान्वित कर दिया जाए तथा वित्तीय स्थिरता बॉर्ड (एफएसबी) और बीसीबीएस के बृहत आर्थिक प्रभाव सख्खी आकलनों से जुड़े सख्खमणकालीन प्रभावों की जानकारी दी जाए।
9. चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहन पैकेजों को समाप्त करने सख्खी व्यवस्था में विभिन्न देशों के आरम्भिक कदमों के साथ-साथ वहा विद्यमान वास्तविक परिस्थितियों को भी परिलक्षित किया जाएगा और यदि नए मानकों के सख्ख में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो समय बीतने के साथ विभिन्न देश नए वैश्विक मानकों पर आसी सहमति का निर्माण कर सकते हैं। इस सख्खमणकालीन अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी में और वृद्धि की जा सकती है।
 10. हमने उपयुक्त समीक्षा और सख्ख-समझकर बनाई गई नीति पर आधारित उपयुक्त सख्खमणकालीन अवधि के उपरान्त पहले चरण से आगे बढ़ने के उद्देश्य से बेसल-2 से सख्ख एक अनुपूरक उपाय के रूप में लिवरेज अनुपात का शुभारम्भ किए जाने के प्रति भी अपने समर्थन को देहराया। तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए लिवरेज अनुपात के ब्यौरों में लेखाकरण की भिन्नताओं के साथ पूर्णतः सामञ्जस्य स्थापित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामञ्जस्य स्थापित किया जाएगा।
 11. हम बीसीबीएस द्वारा फिलहाल किए जा रहे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। इससे नए बेसल मानकों के सख्खावित प्रभावों का पता चलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि नए पूंजी और तरलता मानक उच्चगुणवत्ता पर आधारित हों और इनका निर्माण सख्ख-समझकर किया जाए। बीसीबीएस-एफएसबी बृहत आर्थिक प्रभाव अध्ययन में नए मानकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सख्ख में प्रगति की भी जानकारी दी जाएगी।
 12. हमने सख्खाधित व्यापार नियमावली के सभी तत्वों को अधिकतम 31 दिसम्बर, 2011 तक लागू किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ करने पर बीसीबीएस में हुई सहमति का भी स्वागत किया।
 13. हम बाजार में अनुशासन में वृद्धि करने और निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेशों में हुए नुकसान को सहन करने सख्खी एक वित्तीय प्रणाली लाने में सहायता करने के लिए आकस्मिक पूंजी की भूमिका पर विचार करने के लिए बीसीबीएस द्वारा किए जा रहे कार्यों का समर्थन करते हैं। आकस्मिक पूंजी निधि पर किए जाने वाले विचार-विमर्श को वर्ष 2010 के सुधार पैकेजों में भी शामिल किया जाएगा।
 14. हम एफएसबी और बीसीबीएस से आह्वान करते हैं कि वह सुधार उपायों के पूर्ण पैकेज में भी हुई प्रगति की रिपोर्ट सियोल में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन

में प्रस्तुत करा। हम ठोस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना में वित्तीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। हम एक ऐसी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने का प्रति वचनबद्ध हैं, जो लोचनीय और स्थिर हो तथा जिसमें ऋण की सतत उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

गहन पर्यवेक्षण

15. हमने इस बात पर भी अपनी सहमति व्यक्त की कि और भी प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए इस प्रक्रिया को सुदृढ़ नियमों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। हम प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बजाल समिति के प्रमुख सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के परामर्श से वित्तीय स्थिरता बोर्ड को यह कार्य सौंपते हैं कि वह अधिदक्ष, क्षमता एवं पर्यवेक्षकों की आउटसोर्सिंग और आरंभिक हस्तक्षेप सहित वित्तीय जोखिमों का समाधान करने की दिशा में पालन किए जाने वाले अन्य सक्रिय उपायों से संबंधित मुद्दों और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाए जाने का संवर्धन में की गई अनुशंसाओं पर अक्टूबर, 2010 में हमारे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक रिपोर्ट सौंपें।

वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं का समाधान

16. हम वित्तीय प्रणाली में नैतिक जोखिमों में कमी लाने संबंधी अपनी वचनबद्धता का पालन कर रहे हैं। हम एक ऐसी प्रणाली का निर्माण और कार्यान्वयन करने का प्रति वचनबद्ध हैं जिसमें हमें अतः करदाताओं पर बोझ डाले बिना इस प्रकार के संकट की स्थितियों में सभी वित्तीय संस्थाओं को पुनर्गठित करने अथवा इनकी समस्याओं का समाधान करने का अधिकार प्राप्त हो सके। इन अधिकारों में पूर्ण एवं तरलता पुनर्गठन तथा हल किए गए उपायों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अधिकार शामिल होंगे। हमने इन वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं का समाधान करने का संवर्धन में राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले ऐसे उपायों का समर्थन करने की वचनबद्धता व्यक्त की है जिनसे वित्तीय स्थिरता संरक्षित हो। इसके साथ ही हम मार्च, 2010 में बीसीबीएस द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बैंक समाधान प्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को भी कार्यान्वित करने का प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। इस संवर्धन में हम राष्ट्रीय समाधान नीतियों और दिवालिया होने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए जाने का भी समर्थन किया है। हम उन कानूनों का समर्थन करते हैं

जिनके तहत संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित समाधान प्रक्रिया में सहयोग करने का अधिकार मिल जाए।

17. हमने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि समाधान व्यवस्थाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- वित्तीय नुकसान का उचित आंश जिससे कि नैतिक जोखिमों में कमी आए;
- बीमित जमाकर्ताओं के लिए अबाध सेवा सहित महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं की निरन्तरता;
- बाजार में समाधान व्यवस्था की विश्वसनीयता;
- संक्रमण के प्रसार में कमी;
- सुव्यवस्थित समाधान तथा अनुबंधों के अंतरण के लिए अग्रिम आयोजना; और
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के असफल होने की स्थिति में घरेलू स्तर पर तथा विविध कार्यक्षेत्रों के बीच प्रभावी सहयोग एवं सूचना का आदान प्रदान।

महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं का समाधान

18. हमने महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं में उत्पन्न नैतिक जोखिमों में कमी लाने पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड की अंतरिम रिपोर्ट का स्वागत किया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन जोखिमों का समाधान करने के लिए अभी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की फर्मों की विवेकपूर्ण अपेक्षाएं उनकी असफलता की लागत के अनुरूप होनी चाहिए। हमने वित्तीय स्थिरता बोर्ड से ठोस नीतिगत अनुशंसाओं का विकास करने का आह्वान किया है जिससे कि सियोल में आयोजित होने वाले आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन तक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं से संबद्ध समस्याओं का प्रभावी समाधान प्राप्त किया जा सके। इसमें वित्तीय नियमावतियों एवं तंत्रों पर बेहतर पर्यवेक्षण किया जाना शामिल है जिससे कि बाजार में अनुशासन को बढ़ावा मिल सके, संकट से निपटने के लिए आकस्मिक पूंजी का निर्माण किया जा सके, संकट को दूर करने के लिए विकल्प मौजूद हो सकें तथा विभिन्न प्रकार के कर, उपकरण लगाए जा सकें और अन्य प्रांजागत बाध्यताओं का निर्माण करते हुए जमाकर्ताओं को सुरक्षित रखा जा सके।

19. हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा चिह्नित महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी कालेजों एवं संकट प्रबंधन समूहों के संबंध में हुई ठोस प्रगति का भी स्वागत करते हैं।

20. हम वर्ष 2010 के अन्त तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के लिए विशेष उपायों के संबंध में ठोस नीति का विकास करने हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं। हमने वित्तीय संस्थाओं की समाधान क्रियाविधियों में सहयोग सुनिश्चित करने हेतु भी मिलकर कार्य करने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है।

वित्तीय क्षेत्र दायित्व

21. हमने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि वित्तीय क्षेत्र को सरकारी हस्तक्षेपों के कारण ँड़ने वाले बोझ को वहन करने के में भी ठोस और न्यायसंगत योगदान देना चाहिए जिससे कि समग्र वित्तीय प्रणाली में सुधार आ सके और धन की कमी की समस्या का समाधान किया जा सके।

22. इस प्रयोजनार्थ हमने स्वीकार किया कि इस संबंध में विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। कुछ देश वित्तीय उपकरण भी लगा रहे हैं। अन्य देश अपने लिए अनुकूल उपाय कर रहे हैं। हमने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इनमें निम्नलिखित सिद्धांतों को जगह दी जानी चाहिए:

- करदाताओं को सुरक्षा;
- वित्तीय प्रणाली के जोखिमों में कमी;
- अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अवधियों में ऋण के प्रवाह का संरक्षण;
- अलग-अलग देशों की परिस्थितियों और विकल्पों को ध्यान में रखना; और
- समान अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करना।

23. इस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को धन्यवाद दिया।

वित्तीय बाजार अवसंरचना एवं विनियम के क्षेत्र

24. हमने वित्तीय बाजार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता पर अपनी सहमति व्यक्त की जिससे कि क्रमिक जोखिमों में कमी लाई जा सके तथा बाजार की प्रभाविता, पारदर्शिता और साख में सुधार हो। नियामक संबंधी विवाचनों में कमी लाने, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उपयुक्तता, साख एवं पारदर्शिता से संबद्ध सिद्धांतों के व्यापक अनुप्रयोग का बढ़ावा देने के लिए वार्षिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयां महत्वपूर्ण हैं।

25. हमने ओवर दि काउंटर रेगुलेशन विनियम एवं पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने तथा पारदर्शिता एवं मानकीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए समन्वित

तरीके से कार्य करने की वचनबद्धता व्यक्त की है। हम उपयुक्त स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंचों अथवा आदान-प्रदान के संबंध में मानक ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव्स के जरिए व्यापार करने की प्रक्रिया पर भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव्स सम्पर्कों की सूचना व्यापार न्यासियों को भी दी जानी चाहिए। हम वैश्विक मानकों के अनुसरण में सीसीपी और पीआर की स्थापना करने की दिशा में कार्य करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय नियामकों और पर्यवेक्षकों की पहुंच सभी प्रासंगिक सूचनाओं तक हो। इसके अतिरिक्त हमने प्रतिभूति वित्तपक्षण और ओपीसी डेरिवेटिव्स काराखार के लिए निर्मित समाधान प्राप्त करने और सीमान्त प्रथाओं के संदर्भ में नीतिगत उपायों का निर्माण किए जा सकें पर भी सहमति व्यक्त की है जिससे वित्तीय बाजारों में अधिकतर लाभनीयता आ सकेगी। हम इस बात को स्वीकार किया कि अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ किए जाना की आवश्यकता है। हम इन उपायों को कार्यान्वित करने की दिशा में और प्रगति किए जाना का समर्थन करते हैं।

26. हम सुरक्षित कार्यों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव्स की पर्यवेक्षण क्षमताओं में सुधार लाने के लिए किए जा रहे ठोस उपायों के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समरूप और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। हमने वायदा बाजारों के कार्यकरण और पारदर्शिता में सुधार लाने के संबंध में भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से पारदर्शिता में वृद्धि करने और गुणवत्ता में सुधार लाने तथा परस्पर विरोधी हितों के टकराव से बचने का आह्वान करते हैं और राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से पर्यवेक्षण के दौरान इन मुद्दों पर विशेष बल देने का अनुरोध करते हैं।
27. हम नियमों एवं विनियमों के संदर्भ में बाह्य रेटिंग पर निर्भरता पर कमी लाने के प्रति वचनबद्ध हैं। हमने नियामक पूंजी रूपरेखा में बाह्य रेटिंग के उपयोग से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों की समस्या का समाधान करने के लिए बीसीबीएस द्वारा किए जा रहे कार्यों को स्वीकार किया। वित्तीय स्थिरता बर्ह भी बाह्य रेटिंग पर प्राधिकरणों एवं वित्तीय संस्थाओं की निर्भरता में कमी लाने के लिए सामान्य सिद्धांतों का विकास कर रहा है। इस संबंध में हमने उनसे इससे संबंधित रिपोर्ट अक्टूबर, 2010 में हमारे विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को सौंपने का आह्वान किया है।
28. हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयुक्त सभ (आईओएससीओ) द्वारा नियामकों एवं पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाए जाने के महत्व तथा संबंधित नियामक एवं असमान जखिमों की समस्या का समाधान करने के

- उद्देश्य से सुरक्षित कोषों से संबद्ध आईओएससीओ के सिद्धांतों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं।
29. हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड से जी-20 की पूर्व वचनबद्धताओं का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन की समीक्षा करने और वैश्विक स्तर पर नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा देने तथा यदि अनिवार्य हो, तो इससे संबंधित रिपोर्ट अक्टूबर, 2010 में अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को उपलब्ध कराने का आह्वान करते हैं।

लेखाशास्त्र मानक

30. हम उच्च गुणवत्ता आधारित वैश्विक लेखाशास्त्र मानकों का निर्माण किए जाने के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय लेखाशास्त्र मानक बोर्ड तथा वित्तीय लेखाशास्त्र मानक बोर्ड से वर्ष 2011 के अंत तक इस संबंध में सर्वसम्मति स्थापित किए जाने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान करते हैं।
31. हम अंतर्राष्ट्रीय लेखा शास्त्र मानक बोर्ड से स्वतंत्र लेखा शास्त्र मानक निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा के अंतर्गत उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क सहित विभिन्न सहभागियों की भागीदारी में सुधार लाने का अनुरोध करते हैं।

आकलन एवं समकक्ष समीक्षा

32. हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड की समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के जरिए अपनी वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शी और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आकलन तथा समकक्ष समीक्षा का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हमारी वित्तीय प्रणाली की पारस्परिक अंतर्निर्भरता और इसके समन्वित स्वरूप के लिए आवश्यक है कि हम अपनी वचनबद्धताओं के अनुरूप कार्य करें। कुछ देशों में कमजोर वित्तीय प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष खतरा माना जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र को सभी संबंधितों के लिए सुरक्षित बनाने के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय आकलन और समकक्ष समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
33. हमने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षण एवं नियामक मानकों को व्यापक रूप दिए जाने में एफएसबी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुनः पुष्टि की। इसके साथ ही हमने विभिन्न मानक निर्धारण निकायों के बीच समन्वय तथा विषय-वस्तु से संबद्ध समीक्षा करके सुधार की कार्यसूची के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं अधिकार क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन के जरिए समान

- अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रयोजनार्थ हमने वित्तीय स्थिरता बोर्ड को अपनी क्षमता में वृद्धि करने तथा उत्तरोत्तर बढ़ती माणों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है।
34. हमने वित्तीय स्थिरता बोर्ड से अपनी अतिरिक्त गतिविधियों को जी-20 देशों से आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया है जिससे कि यह हमारी वित्तीय प्रणाली के वैश्विक स्वरूप को प्रतिबिम्बित कर सके। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और वित्तीय स्थिरता बोर्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण सञ्चालनों की प्रमुख भूमिका को भी स्वीकार किया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण करने वाले अन्य सञ्चालनों के साथ ये सञ्चालन हमारी वित्तीय प्रणाली की मजबूती और हितकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
35. हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड की विषय-वस्तु से संबद्ध समकक्ष समीक्षा का पूर्ण समर्थन करते हैं, जो विभिन्न देशों में वित्तीय एवम नियामक नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने तथा लक्षित परिणाम प्राप्त करने में उनकी प्रभाविता का आकलन करने का एक तरीका हो सकता है। हमने मुआवजे के संबंध में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की पहली समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट का स्वागत किया जिसमें ठोस मुआवजे के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड के मानकों के कार्यान्वयन की प्रगति को दर्शाया गया है। परन्तु इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी नहीं किया जा सका है। हम सभी देशों एवम वित्तीय सञ्चालनों को वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सिद्धांतों एवम मानकों को इस वर्ष के अंत तक पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड से इस क्षेत्र में मॉनीटरिंग जारी रखने और वर्ष 2011 की दूसरी तिमाही में दूसरी समकक्ष समीक्षा करने का आह्वान करते हैं। हमें जोखिमों के खुलासे के संबंध में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की विषय-वस्तु से संबंधित समीक्षा के परिणामों की भी प्रतीक्षा है।
36. हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड के देश विशेष समीक्षा कार्यक्रम में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की समीक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/ विश्व बैंक वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं तथा इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए समकक्ष शिक्षण और वार्ता का एक महत्वपूर्ण मध्य उपलब्ध कराते हैं। इन समीक्षाओं को इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक एवम गैर-सहकारी क्षेत्राधिकार

37. हम व्यापक सतत तथा पारदर्शी आकलन पर आधारित गैर सरकारी क्षेत्राधिकार से संबद्ध समस्या का समाधान करने के लिए उपायों और तंत्रों के निर्माण पर अपना सहमति व्यक्त करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्ताय संस्थाओं सहित अन्य संगठनों की सहायता से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन का प्रत्साहित करते हैं।
38. हम कर प्रयत्नों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान से संबद्ध वैश्विक मंच के कार्यों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उनकी समकक्ष समाक्षा प्रक्रियाओं में हुई प्रगति और सूचना का आदान-प्रदान किए जाने के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र का विकास किए जाने का स्वागत करते हैं। इस तंत्र में रुचि रखने वाले सभी देश भाग ले सकते हैं। अप्रैल, 2009 में लंदन में हुई हमारी बैठक के बाद से सम्पन्न कर सूचना करारों की संख्या बढ़कर लगभग 500 हो गई है। हम सूचना का प्रभाव आदान-प्रदान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित विधिक रूपरेखा का निर्माण किए जाने में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में नवंबर, 2011 तक नेताओं का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वैश्विक मंच का प्रत्साहित भी करते हैं। हम चर्चा की गई परिसम्पत्तियों का प्राप्त करने से संबंधित कार्यक्रम में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं और भ्रष्टाचार के अर्थागम की वसूल में हुई प्रगति पर नजर रखने संबंधी इसके प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम कर में छूट दिए जाने के विरुद्ध किए गए उपायों का उपयोग करने के लिए भी तैयार हैं।
39. हम धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्तप्राण का मुकाबला करने में वित्तिय कार्यबल (एफएपीएफ) तथा एफएपीएफ शैल के क्षेत्रीय निकायों के कार्यों का पूर्णतः स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम नतिगत वृत्तियों के साथ क्षेत्राधिकारों से संबद्ध सार्वजनिक सूच का नियमित रूप से अद्यतन बनाए जाने का भी स्वागत करते हैं। हम धन शोधन रधि एवं आतंकवाद के वित्तप्राण के विरुद्ध निर्मित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का वैश्विक स्तर पर अनुपालन किए जाने पर नजर रखने के लिए भी एफएपीएफ का प्रत्साहित करते हैं।
40. हम सभी क्षेत्राधिकारों में सूचनाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायता मानकों के विवेकपूर्ण आदान-प्रदान एवं अनुपालन के संबंध में वित्तिय स्थिरता बाई की मूल्यांकन प्रक्रियाओं का कार्यान्वित किए जाने का भी स्वागत करते हैं।

अनुबंध-III

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वैधता, विश्वसनीयता और प्रभाविता में संवर्धन तथा सबस

कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों का समर्थन

1. वैश्विक, वित्तीय एवं आर्थिक संकट से इस बात का पता चला है कि बहुक्षीय कार्रवाइयों का समन्वय करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं ने आगे बढ़कर इस संकट का सामना करते हुए वित्तपोषण हेतु 985 बिलियन अमरीकी डालर संग्रह किए। इसका अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने व्यापार वित्त का जरिए भी 220 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का संग्रहण किया।
2. इस आर्थिक संकट से सुधारों की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का महत्व का पता चला। हमारे सहयोग का महत्वपूर्ण मंचों का रूप में हम इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वैधता, विश्वसनीयता और प्रभाविता का संवर्धन करने का प्रति वचनबद्ध हैं जिससे कि ये संस्थाएं वैश्विक, वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता को कायम रखने एवं सभी सदस्य देशों की विकास आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करने में सफल हो सकें।
3. इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वैधता एवं प्रभाविता का संवर्धन करने का लिए हमने लंदन एवं प्रिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलनों में हमने इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख एवं वरिष्ठ पदों का लिए मुक्त, पारदर्शी एवं प्रतिभा आधारित चयन प्रक्रिया का निर्माण किए जाने का समर्थन किया। व्यापक सुधार को बढ़ावा देने का लिए हम सियोल में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पूर्व इन प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे।

बहुक्षीय विकास बैंकों का वित्त-पोषण

4. वैश्विक वित्तीय संकट का आरंभ होने के बाद से ही बहुक्षीय विकास बैंकों ने विश्व स्तर पर अनुक्रिया व्यक्त करते हुए लंदन सम्मेलन में की गई वचनबद्धताओं से आगे बढ़कर ऋण देने का लिए 235 बिलियन अमरीकी डालर उलब्ध कराए। इसमें से आधे से अधिक राशि विश्व बैंक समूह से आई। ऐसे समय में जब निजी क्षेत्र का वित्त स्रोतों में भारी कमी आ रही थी, तब इन संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण वैश्विक स्थिरता का लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित हुआ। बहुक्षीय विकास बैंक अभी अनकट देशों का लिए पहल की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं।

5. हमने यह सुनिश्चित करमा संबंधी अपनी वचनबद्धता पूरी की है कि इन बहुपक्षीय विकास बैंकों का पास पूंजीगत संवर्धन का जरिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके। इन बैंकों में एशियाई विकास बैंक (एएसडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफ डीबी), अंतर-अमरीकी विकास बैंक (आईएडीबी), यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), विश्व बैंक इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफ सी) इस संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इन संस्थाओं के प्रमुख भागीदार के रूप में हमने इन बैंकों के पूंजी आधार में वृद्धि करने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य किया है और आज इन बैंकों की पूंजी में 85 प्रतिशत तक अर्थात् लगभग 350 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई है। विकासशील देशों का उनके द्वारा दिए जाने वाले समग्र ऋण में प्रति वर्ष 37 बिलियन अमरीकी डालर से प्रति वर्ष 71 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। इससे लघु एवं मध्यम अवधि में ऋण देने की उनकी क्षमताओं में वृद्धि हुई और साथ ही उनके पास सदस्य देशों की जरूरतों का पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध होंगे। हम इन करारों का यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

एमडीबी	पूंजी में वृद्धि	संका पूर्व वार्षिक ऋण ^क	नया वार्षिक ऋण ^ख
एएफ डीबी	200% की वृद्धि	\$1.8 बिलियन	\$6 बिलियन
एएसडीबी	200% की वृद्धि	\$5.8 बिलियन	\$10 बिलियन
ईबीआरडी ^ग	50% की वृद्धि	\$5.3 बिलियन	\$11 बिलियन
आईएडीबी ^घ	70% की वृद्धि	\$6.7 बिलियन	\$12 बिलियन
आईबीआरडी	30% की वृद्धि	\$12.1 बिलियन	\$15 बिलियन
आईएफ सी	\$200 मिलियन चुनिंदा पूंजी वृद्धि	\$5.4 बिलियन	\$17 बिलियन
कुल	एमडीबी पूंजी में 85% की वृद्धि	\$37 बिलियन	\$71 बिलियन

*सभी आंकड़े अमरीकी डालर में हैं।

^क 2000-2008, ^ख 2012-2020, ^ग सीआरआर-4 के लिए मुख्यतः अस्थाई स्वरूप के,

^घ आईएडीबी द्वारा हेती का दिए गए ऋण का माप करने से संबद्ध करार इसमें शामिल हैं।

6. हम अफ्रीका की विकास आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं क्योंकि यही क्षेत्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करमा में सबसे पीछे चल रहा है। इस प्रयोजनार्थ अफ्रीकी विकास बैंक को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात् इसकी पूंजी में 200 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिससे ऋण देने की इसकी क्षमता में तिगुने की वृद्धि होगी। इससे अफ्रीकी क्षेत्र के दीर्घावधिक विकास और प्रगति में सहायता प्रदान करने की क्षमता का संवर्धन होगा।
7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के पास सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, हम सहभागियों के लिए एक दीर्घावधिक संयुक्त दस्तावेज पर भी विचार करेंगे जिससे कि मताधिकार संशोधन से जुड़ी हाल की चुनिंदा पूंजीगत वृद्धि को संपूरित किया जा सके।
8. अल्प आय वाले देशों की सहायता करने के लिए उन्हें और भी रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान करने हेतु की गई वचनबद्धताओं का पालन किया जाना चाहिए। इससे बहुक्षीय विकास बैंकों खासकर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईपीए) और अफ्रीकी विकास कोष की रियायती ऋण सुविधाओं में भी महत्वाकांक्षी वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि जी-20 के अनेक सदस्य देशों ने इन संस्थाओं में दाता देश के रूप में भाग लेने संबंधी महत्वपूर्ण पहल की है। हम व्यय का न्यायसंगत वहन किए जाने का समर्थन करते हैं।

बहुक्षीय विकास बैंकों में सुधार

9. हमने यह सुनिश्चित करमा के सख्थ में भी अपनी वचनबद्धताओं को पूरा किया है। कि इस प्रकार के पूंजीगत संवर्धन वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाए जामा की प्रक्रिया सख्थित हैं जिससे कि बहुक्षीय विकास बैंकों को और भी प्रभावी, कुशल एवं जिम्मादार बनाया जा सके। इनमें शामिल हैं:
 - बहुक्षीय विकास बैंकों की शुद्ध आय का उपयोग अल्प आय वाला देशों को ऋण दिए जामा के ससाधनों के रूप में करमा और यथाव्यवहार्य ससाधनों के अंतरण सहित वित्तीय आधार पर विद्यकपूर्ण तरीके सख्थ सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करमा और अल्प आय वाला देशों और सीमान्त क्षेत्रों में निश्चि गतिविधियों को बढ़ावा दमा की वचनबद्धता।
 - बहतर पारदर्शिता, सख्थित जिम्मादारी, सशोधित सस्थागत शासन, विकेंद्रीकरण तथा खरीद के सख्थ में सशोधित दिशानिर्देशों, परिणामों के प्रबधन सख्थ नए तौर-

- तरीकों एवं वित्तीय अंशदानों, ज्ञान प्रबन्धन के समर्थन तथा उपयुक्त विविधता के साथ वास्तविक मानव ससाधन सुनिश्चित करने, बेहतर कार्यान्वयन परिवेश एवं सामाजिक सुरक्षापायों, स्वस्थ जखिम प्रबन्धन की दिशा में विशिष्ट कार्रवाई करना और व्यय के सखध में वित्तीय निरन्तरता सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यय में कमी लाने तथा प्रशासन क और भी पारदर्शी बनाने की वचनबद्धता।
- सतत एवं समावेशी विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में निजी क्षेत्र के कार्यकलापों एवं निवेशों सहित अन्य कार्यकलापों के जरिए निजी क्षेत्र के विकास हेतु ठस समर्थन।
 - विकास के प्रमुख अधिदेशों के प्रति पुनः वचनबद्धता व्यक्त करना और जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षा जैसी अतर्राष्ट्रीय समस्याओं के वैश्विक समाधान में बेहतर भूमिका का निर्वाह करना।
10. सुधार की इन वचनबद्धताओं के साथ हम बहुपक्षीय विकास बैंकों का न सिर्फ विस्तार कर रहे हैं बल्कि उन्हें बेहतर भी बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम गरीब लणों के जीवन स्तर में सुधार लाने, विकास एवं सुरक्षा क बढ़ावा देने पर नीतिगत बल दे रहे हैं और जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इन सुधारों का कार्यान्वयन आरभ ह चुका है और हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि इस कार्य क पूरा किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर अन्य सुधार भी किए जाए।

विश्व बैंक समूह में मताधिकार सखधी सुधार

11. हमने पिट्सबर्ग जी-2 शिखर सम्मेलन में हुई सहमति के अनुरूप विकासशील एवं सक्रमणकालीन देशों के मताधिकार में 3.13 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने सखधी विश्व बैंक में किए गए सुधार पर हुई सहमति का स्वागत करते हैं। सुधारों के पिछले दौर में सहमत 1.46 प्रतिशत वृद्धि क जाड़े जाने के उपरान्त विकासशील एवं सक्रमणकालीन देशों के मताधिकार में 4.49 प्रतिशत की वृद्धि हणी जिससे उनका समग्र मताधिकार 47.19 प्रतिशत की सीमा तक पहुच जाएगा। हम लघु राष्ट्रों के हितों का सखक्षण करते हुए न्यायसगत मताधिकार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध हैं। इस प्रक्रिया में किसी गतिशील फार्मूले पर पहुचा जाएगा, ज मुख्यतः विभिन्न देशों की उभरती आर्थिक ताकत और विश्व बैंक के विकास मिशन क ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। हमने अतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भी मताधिकारों में ससाधन किए जाने का समर्थन किया है जिसके फलस्वरूप कुल 6.07 प्रतिशत का

अंतर आएगा और विकासशील और संक्रमणकालीन देशों के मताधिकार की सीमा 39.48 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी।

हैती के लिए ऋण राहत

12. आज जब हैती की जनता जनवरी में आए भयानक भूकम्प के कारण हुए विनाश से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है, तो हम उनके लिए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं और विश्व बैंक, अंतर-अमरीकी विकास बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित हैती पुनर्निर्माण कष तथा अन्य निधियों के जरिए इस कठिन समय में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अन्य दाता देशों के साथ हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हैती के पुनर्निर्माण संबंधी प्रयासों में एक विशिष्ट कार्य योजना पर बल दिया जाए, हमारे विदेश मंत्रियों ने पिछले अप्रैल माह में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा हैती को दिए गए सभी प्रकार के ऋण को माफ करने पर सहमति व्यक्त की। आवश्यकता पड़ने पर अन्य संबंधित व्यय का भी साझा वहन किया जाएगा। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कष इत्यादि जैसी संस्थाओं में इस ऋण को रद्द किए जाने संबंधी एक रूपरेखा पर सहमति हो गई है और अंतर-अमरीकी विकास बैंक में शीघ्र ही इस संबंध में सहमति हो जाएगी। हम यथासंभव शीघ्र संबंधित लागत पर आने वाले व्यय में न्यायसंगत अंशदान देंगे। हम सियोल में आयोजित हमारे वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में इस विषय पर हुई प्रगति की रिपोर्ट देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कष सुधार

13. हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकष की वैधता, विश्वसनीयता और प्रभाविता का संवर्धन करने के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे कि यह अपने अधिदेशों को पूरा करने में सफल हो सके। हालिया आर्थिक संकट के आरंभ हमारे के बाद से जी-20 और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य देशों द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए गए हैं जिनमें आर्थिक संकट के दौरान वित्तपक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कष के सदस्य देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 750 बिलियन अमरीकी डॉलर एकत्र करना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकष ने तात्कालिक द्विपक्षीय ऋण तथा क्रय करारों के जरिए नए ससाधनों के रूप में 250 बिलियन अमरीकी डॉलर जड़े, जिसे बाद में ऋण से संबंधित नए करारों के 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के विस्तार में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कष ने भी एसपीआर के नए सामान्य आवंटन के रूप में 250 बिलियन अमरीकी डॉलर के

आधार पर संचालित परियोजनाएं कार्यान्वित कीं जिसका उद्देश्य सभी सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा बाजार में समर्थन करना था। समकट पूर्व चेतावनी तथा लोचनीय क्रेडिट लाइन जैसे नए उपकरणों का सृजन करते हुए इस पर निगरानी रखने और ऋण प्रक्रिया में सुधार लाने जैसे उपकरणों से समकट के समय में उपयुक्त अनुक्रिया व्यक्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्ण सुधार लाने के लिए अभी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं।

14. हमने पिट्सबर्ग जी-20 शिखर सम्मेलन में की गई वचनबद्धताओं के अनुसरण में सियोल शिखर सम्मेलन तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कोटा सुधार संबंधी सभी कार्य पूरा किए जाने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने और शासन संबंधी अन्य प्रकार के समानांतर सुधार किए जाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्वसनीयता, वैधता और प्रभाविता में सुधार लाने संबंधी हमारे प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आधुनिक बनाना एक महत्वपूर्ण कारक होगा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कोटा आधारित सगठन बने रहना चाहिए और कोटे के वितरण में विश्व अर्थव्यवस्था में किस विशेष देश की सांक्षिक ताकत को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। क्योंकि गतिशील उदीयमान बाजारों एवं विकासशील देशों की प्रगति के साथ ही वैश्विक आर्थिक समीकरण में खासा बदलाव आ गया है। इस प्रयोजनार्थ हम गतिशील उदीयमान बाजारों एवं विकासशील देशों के कोटे में कम से कम ष प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान कोटा फार्मूले का उपयोग करते हुए यह वृद्धि उन देशों के कोटे में से की जाएगी, जिन्हें पहले से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे गरीब देशों के मताधिकार के हिस्से को भी सशक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में हम इस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं कि इन मुद्दों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का भी समाधान किया जाना है जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में वृद्धि का आकार जिसका प्रभाव कोटे के हिस्से में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने की क्षमता पर भी पड़ेगा; कार्यकारी बोर्ड का आकार और संरचना; कार्यकारी बोर्ड की प्रभाविता में वृद्धि करने के तौर तरीके; और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नीतिगत पर्यवेक्षण में कोष के गवर्नरों की भागीदारी। कर्मचारियों की विविधता का भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
15. हमने यह सुनिश्चित करवा कर अपना संकल्प को दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद हों। जी-20 के अधिकांश सदस्य देशों ने वर्ष 2008 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- के कोटे और मताधिकार संशोधन का अनुसमर्थन कर दिया है जिसके जरिए लंदन में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में की गई महत्वपूर्ण वचनबद्धताएं पूरी हो गई हैं। जिन सदस्य देशों ने अभी तक इनका अनुसमर्थन नहीं किया है। वे सियोल शिखर सम्मेलन तक ऐसा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इस कार्य से विकासशील देशों के मताधिकार और सहभागिता में समर्थन के जरिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैधता का बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे नए कोटे के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 30 बिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों से इसी वर्ष इस करार का अनुसमर्थन करने का आह्वान करते हैं।
16. जी-20 के अनेक सदस्य देशों ने ऋण से संबद्ध नई विस्तारित व्यवस्थाओं का पहले ही औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटा संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार उत्पन्न हो जाएगा और संकट के समय में विभिन्न देशों का ऋण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 500 बिलियन अमरीकी डालर के संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। जी-20 के अनेक सहभागी सदस्य देश जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अगली बैठक तक स्वीकृति की इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। हम नई ऋण व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले सभी वर्तमान और नए देशों से भी यह कार्य करने का आह्वान करते हैं।
17. जी-20 के सदस्य देशों ने यह सुनिश्चित करने की वचनबद्धता व्यक्त की है कि सबसे गरीब देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रियायती वित्त पोषण क्षमताओं का विस्तार करके इसमें छः बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की जाएगी। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए आय मॉडल के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सोने की सहमत बिक्री तथा आंतरिक एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करके किया जाएगा। जी-20 के कुछ सदस्य देशों ने गरीबी उपशमन विकास न्यास (पीआरजीटी) के लिए अतिरिक्त ऋण एवं राज सहायता संसाधनों के आधार पर इस वचनबद्धता का समर्थन किया है और कुछ देश आगामी महीनों में इसमें अंशदान करने की योजना बना रहे हैं।
18. हम पूंजीगत प्रवाह की समेटनशीलता, वित्तीय अस्थिरता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम अपने वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु ठोस प्रोत्साहन पैकेजों पर आधारित नीतिगत विकल्प तैयार करने का कार्य सौंपते हैं जिस पर सियोल में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में विचार किया जाएगा। इन प्रयासों के अनुसरण में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से

ऋण प्रदान करने संबंधी नियमों की समीक्षा करने में तीव्र प्रगति करने का आह्वान करते हैं जिससे कि इन नियमों में यथाचित सुधार आ सके। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कष के निगरानी तंत्र में सुधार लाते हुए पित्तीय व्यस्थाओं के क्रमिक जखिमों और कमजरियों पर भी पिशेष बल दिया जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक स्थिर एवं लघनीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निर्माण करना ह।

सबसे कमजए देशों की और सहायता करने की आशकता

19. हमने आर्थिक संक के दौरान सबसे गरीब देशों की सहायता करने में महत्पूर्ण प्रगति की ह। और निश्चित रूप से इस कार्य क आगे जारी रखा जाना चाहिए। इससे हम इस बात का सुनिश्चय कर ंएंगे कि ंशिक विकास की प्रक्रिया क बहाल करने हेतु हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों से सबसे गरीब देशों क भी लाभ ंहंचे। हम इस कार्य की तात्कालिकता क स्ीकार करते हैं और ंर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों क प्राप्त करने के प्रति ंचनबद्ध हैं। हम आधिकारिक विकास सहायता के उयण सहित अन्य तरीकों से इस दिशा में किए जा रहे अने प्रयासों क और सुदृढ बनाएंगे।
20. हमने गरीब लणों की ंहंच क पित्तीय सेवाओं तक बढ़ाने और विकासशील देशों में लघु एवं मध्यम आकार के उक्रमों (एसएमई) के लिए पित्त की उलब्धता में सुधार करने की अनी ंचनबद्धता के संबंध में ठस प्रगति की ह।
21. नौकरियों के सृजन और अर्थव्यस्था, खासकर उदीयमान अर्थव्यस्थाओं के विकास के लिए लघु एवं मझले व्यसायों के लिए ंर्याप्त पित्त उलब्ध कराना अत्यंत अनिार्य ह। हमने एसएमई पित्त चुनौती का शुभारंभ किया ह जिसका उद्देश्य एसएमई क्षेत्र क पित्त उलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक-निजी मॉडलों का निर्माण करना ह। हम बहुक्षीय विकास बैंकों की ठस सहायता सहित अन्य उायों के जरिए इन महत्पूर्ण प्रस्ताओं का कार्यान्यन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम स्थाई एसएमई पित्तक्षण के लिए बहुक्षीय विकास बैंकों की ठस सहायता का स्वागत करते हैं। इस कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी उयण किया जा सकता ह। हमें एसएमई से संबंधित पित्तीय चुनौतियों के लिए उयणी प्रस्ताओं की घषणा करने के लिए सियल शिखर सम्मेलन में एसएमई पित्तक्षण के सफल मॉडलों के संबंध में अनुशंसाएं प्राप्त करने की प्रतीक्षा ह।
22. हमने नआचार आधारित पित्तीय समाेश के लिए कुछ सिद्धांतों का विकास किया ह। ज गरीब देशों के बीच पित्तीय सेवाओं का पिस्तार किए जाने हेतु ठस और

- प्रगतिशील कार्य योजनाओं के आधार बनेंगे। इस कार्य योजना को सियोल जी-20 शिखर सम्मेलन में जारी किया जाएगा।
23. पिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में हमने अल्प आय वाले देशों में दीर्घावधिक खाद्य सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाने के लिए सतत वित्तपोषण एवं लक्षित निवेशों के महत्व को स्वीकार किया था। हम वैश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जीएफएसपी का शुभारंभ किए जाने का स्वागत करते हैं जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, ग्रामीण आय में वृद्धि करने और स्थाई कृषि प्रणालियों का निर्माण करने के लिए अल्प आय वाले देशों में पूर्वानुमेय वित्तपोषण की व्यवस्था हो सकेगी। हम इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न हैं कि इस कोष द्वारा बंगलादेश, रवांडा, हैती, पोंगो और सियरालियोन जैसे देशों के लिए कुल 224 मिलियन अमरीकी डॉलर के उद्घाटन अनुदानों का अनुमोदन कर दिया गया है। हम जीएफएसपी के निजी क्षेत्र विण्डो का विकास किए जाने के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त करते हैं जिससे लघु एवं मझोले आकार वाले कृषि व्यवसायों और गरीब देशों के खेतिहरों के हित में निजी क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। हम पहले से प्राप्त सहायता का स्वागत करते हैं और जीएफएसपी के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विण्डो के लिए अतिरिक्त दाताओं के अंशदानों को बढ़ावा देते हैं।
24. विशेषकर अफ्रीका में बढ़ती मांगों एवं पर्यावरण पर उत्तरोत्तर बढ़ते दबाव के आलोक में क्षेत्रीय एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग सहित अन्य तरीकों से कृषि उत्पादकता की खाई को ढालने हेतु त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम उपलब्ध कराने के लिए नए समाधानों के विकास और उपयोग में निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हम गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास के क्षेत्र में नवाचारों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की सर्जनात्मकता एवं संसाधनों का उपयोग करने हेतु विकसित बाजारों की वचनबद्धता जैसे नए और परिणाम आधारित तंत्रों की संभावनाओं का पता लगाने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।
